न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/218

बाबूलाल आत्मज श्री श्रीकृष्ण जाति माली निवासी ग्राम गंदीफली तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. बजरंग लाल आत्मज स्व0 चौथमल उर्फ चौथ्या उर्फ चाथू जाति माली निवासी ग्राम गंदीफली तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. हेमराज आत्मज स्व0 मथुरा लाल जाति माली निवासी ग्राम गंदीफली तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. उच्छवलाल आत्मज स्व0 मथुरालाल जाति माली निवासी ग्राम गंदीफली तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. श्रीमती द्रोपदी पुत्री स्व0 मथुरा लाल पत्नी श्री दुर्गालाल आत्मज स्व0 मथुरा लाल जाति माली निवासी ग्राम गंदीफली तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. कमलकान्त आत्मज स0 हरिबल्लभ जाति माली निवासी ग्राम गंदीफली तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
6. बलवन्त कुमार आत्मज स्व0 हरिबल्लभ जाति माली निवासी ग्राम गंदीफली तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
7. धर्मराज आत्मज स्व0 हरिबल्लभ जाति माली निवासी ग्राम गंदीफली तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
8. श्रीमती संतोष पुत्री स्व0 हरिबल्लभ जाति माली निवासी ग्राम गंदीफली, हाल निवीस नापाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
9. राकेश आत्मज स्व0 हरिबल्लभ जाति माली निवासी ग्राम गंदीफली तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
10. सुश्री जशोदा पुत्री स्व0 हरिबल्लभ जाति माली निवासी ग्राम गंदीफली तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
11. श्रीमती कल्याणी बाई पत्नी स्व0 हरिबल्लभ जाति माली निवासी ग्राम गंदीफली तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
12. मुकेश आत्मज स्व0 हरिबल्लभ जाति माली निवासी ग्राम गंदीफली तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
13. गोविन्द आत्मज स्व0 सत्यनारायण जाति माली ।
14. रिंकू आत्मज स्व0 सत्यनारायण जाति माली ।
15. गोलू आत्मज स्व0 सत्यनारायण जाति माली ।
16. सुश्री मीना पुत्री स्व0 सत्यनारायण जाति माली नाबालिग जरिये वली माता घींसी बाई जाति माली निवासी गंदीफली तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
17. गुड्डी पुत्री स्व0 सत्यनारायण जाति माली निवासी गंदीफली तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

18. श्रीमती घींसी बाई पत्नी स्व0 सत्यनारायण जाति माली निवासी गंदीफली तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
19. हुकम चन्द आत्मज श्री श्रीकृष्ण जाति माली निवासी गंदीफली तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील, लाडपुरा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री महावीर गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से
2. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 20.11.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम गंदीफली तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 556/374 की 24 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि मांग्या बेटा श्योजी के नाम खातेदारी में दर्ज थी । खातेदार मांग्या बेटा श्योजी ने उक्त भूमि में से 10 बीघा 01 बिस्वा भूमि चौथ्या आत्मज भोजू जाति माली को दिनांक 25.07.1956 को जरिये रजिस्टर्ड बेचान पत्र से बेचान कर कब्जा संभला दिया । सेटलमेंट होने के पश्चात् उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 444 रकबा 10 बीघा 01 बिस्वा कायम किया गया । सेटलमेंट विभाग ने अनाधिकृत रूप से वादीगण के पूर्वज श्री चौथमल जी के खाते व कब्जे की आराजी खसरा नम्बर 444 रकबा 09 बीघा 07 बिस्वा भूमि का फर्द मिलान व नक्शा ट्रेस मौके की स्थिति व कब्जे के विपरीत बना दिया । वादीगण के पूर्वज श्री चौथमल उर्फ चौथ्या जी के खाते व कब्जे की भूमि खसरा नम्बर 444 की 09 बीघा 07 बिस्वा भूमि के फर्द मिलान में नये खसरा नम्बर व रकबे में खसरा नम्बर 636 रकबा 0.28 हैक्टर होना अंकित कर दिया तथा तदनुसार नक्शा ट्रेस में अंकन कर दिया जबकि मौके की स्थिति व कब्जे के आधार पर एवं पूर्व राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार हाल खसरा नम्बर 666 की 1.28 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 667 रकबा 0.19 हैक्टर भूमि वादीगण के खाते में दर्ज होना चाहिए था । सेटलमेंट विभाग के कर्मचारियों ने त्रुटिपूर्ण तरीके से वादीगण के पूर्वज श्री चौथमल जी की कयशुदा व कब्जे की हाल खसरा नम्बर 666 की 1.28 हैक्टर श्रीकृष्ण आत्मज मोडू जाति माली निवासी ग्राम गंदीफली के खाते में दर्ज कर दी जो त्रुटिपूर्ण है ।

3. अतः वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम गंदीफली की वादग्रस्त आराजी हाल खसरा नम्बर 666 रकबा 1.28 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में पूर्व किये गये अवैध व त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को दुरूस्त कर उक्त भूमि से श्रीकृष्ण आत्मज मोडू जाति माली निवासी गंदीफली का नाम हटाकर उक्त भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित कर वादीगण के नाम खातेदारी में

दर्ज की जावे तद्नुसार हाल खसरा नम्बर 666 एवं 667 की भूमि बाबत् नक्शा ट्रसे में दुरूस्ती किये जाने का निर्णय एवं डिक्री पारित की जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादीगण के खाते व कब्जे काश्त भूमि में उनके शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नजहीं करें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2016 के द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट क्रम 19 द्वारा किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं दी थी और न ही वादीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 18 के पक्ष में कोई बात कही । रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 18 द्वारा एक झूंठा एवं बनावटी इकबालिया जवाब अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट क्रम 19 के पिता का बनाकर न्यायालय में पेश कर दिया जिसकी अपीलान्ट को कभी भी जानकारी नहीं रही और न ही अपीलान्ट को उक्त मुकदमें के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई सम्मन दिया गया । रेस्पोडेन्टगण ने गैर कानूनी रूप से अपीलान्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एकपक्षीय कार्यवाही करवाकर अपीलान्ट को उक्त वाद की जानकारी नहीं होने दी जिससे अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिला । अपीलान्ट लोक अदालत में उपस्थित नहीं हुआ और न ही उसे उपिस्थत होने बाबत् कोई सूचना दी गई । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की अनुपस्थिति में उसकी जानकारी के बिना मनमर्जी से उक्त निर्णय एंव डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2016 निरस्त फमराया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश का कम पढा लिखा व्यक्ति है जो कानूनी भाषा व विधिक प्रकिया को नहीं समझता है । प्रार्थी अभी हाल ही में अपनी गेहूँ की फसल को कांटे पर बेचान करने के लिए नकल निकलवाने हेतु तहसील गया तो नकल प्राप्त करने से अपीलान्ट की जानकारी में आया कि उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 18 ने अपने खाते में दर्ज करवा ली है जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया ।

8. प्रार्थी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 18 ने न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश कर निवेदन कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

9. अप्रार्थी अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने जवाबप्रार्थना पत्र एवं अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी अपीलान्ट को उक्त दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए था अपील के स्तर पर उक्त दस्तावेज पेश नहीं किया जा सकता । रेस्पोडेन्टगण को उक्त

दस्तावेज की प्रारम्भ से ही जानकारी थी । अतः प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी खारिज फरमाया जावे ।

10. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थना पत्र के साथ जो दस्तावेज संलग्न है वह न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.08.2004 की प्रमाणित प्रति है जिसकी विश्वसनीयता पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता । अतः न्यायहित में उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

11. प्रार्थी अपीलान्ट ने भी न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी पेश किया परन्तु उक्त प्रार्थना पत्र के साथ कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया है ।

12. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 666 रकबा 1.28 हैक्टर अपीलान्ट के पिता के खातेदारी व काश्तकारी की थी उनकी मृत्यु के उपरान्त उक्त कृषि भूमि के एकमात्र तन्हा मालिक अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट कम 19 हैं। रेस्पोडेन्ट कम 1 से 18 ने वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय में वाद पेश किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत में दिनांक 17.06.2016 को निर्णय व डिक्री पारित कर खसरा नम्बर 666 की रकबा 1.28 हैक्टर भूमि के खातेदार अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट कम 19 का नाम डिलीट कर रेस्पोडेन्ट कम 1 से 18 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिया । लोक अदालत में अपीलान्ट उपस्थित नहीं था । रेस्पोडेन्टगण ने एक झूठा जवाब अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट 19 के पिता का बनाकर न्यायालय में पेश कर दिया जिसकी जानकारी अपीलान्ट को नहीं थी । गैर कानूनी रूप से एक पक्षीय कार्यवाही की गई है । अपीलान्ट अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय में नहीं रख सका । रेस्पोडेन्टगण ने अपने दावे को सिद्ध नहीं किया है फिर भी दावा डिक्री किया गया है । तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया गया है, सीपीसी की पालना नहीं की गई है बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य रेस्पोडेन्टगण का दावा सिद्ध माना गया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2016 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों की पुष्टि में 2017 (2) सीजे (सिविल) (राज0) पेज 1168 उद्धरत की ।

13. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट वादीगण ने एक दावा वादग्रस्त आराजी के बाबत् पेश किया था जो दिनांक 17.11.2003 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है जिसकी अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में की गई जिसमें प्रकरण रिमाण्ड किया गया । इसके उपरान्त अपीलान्टगण ने उस दावे को नया वाद प्रस्तुत करने की अनुमति के साथ विड्रो कर लिया और यह नया दावा पेश किया है जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय से डिक्री किया गया है । वादीगण रेस्पोडेन्ट के पिता ने वादग्रस्त आराजी साबिक खसरा नम्बर 556/374 की 24 बीघा 18 बिस्वा में से 10 बीघा 01 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सन् 1956 में क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था । यह आराजी दक्षिण दिशा की अरलिया के कांकड की तरफ की थी । नामान्तरकरण संख्या 651 दिनांक 07.07.1958 से यह आराजी

केता चौथू उर्फ चौथ्या उर्फ चौथमल के खाते दर्ज कर दी गई । सेटलमेंट के बाद इसके नये खसरा नम्बर 444 रकबा 10 बीघा 01 बिस्वा कायम किया गया । सेटलमेंट जमाबन्दी संवत् 2016 से 2024 के अनुसार भूमि चौथमल के खाते में दर्ज कर दी गई । चौथमल की मृत्यु हो चुकी है । संवत् 2012 से 2015 में सम्पन्न हुए सेटलमेंट के दौरान सेटलमेंट विभाग के कर्मचारियों ने लापरवाही करते हुए वादीगण के पिता द्वारा क्रय की गई आराजी में दक्षिण दिशा के स्थान पर पश्चिम दिशा में दर्शा दिया । जमाबन्दी संवत् 2033 से 2036 में आराजी खसरा नम्बर 444 की 09 बीघा 07 बिस्वा भूमि दर्शायी गई है और खसरा नम्बर 442 की रकबा 04 बीघा 14 बिस्वा भूमि श्रीकृष्ण के खाते में दर्ज की गई । खसरा नम्बर 444 का फर्द मिलान और नक्शा ट्रेस मौके के विपरीत बनाया गया है । खसरा नम्बर 444 का नया खसरा नम्बर 636 रकबा 0.28 हैक्टर अंकित कर दिया तथा तदनुसार नक्शा ट्रेस में अंकन कर दिया जबकि मौके की स्थिति व कब्जे के आधार पर एवं पूर्व राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर खसरा नम्बर 666 की 1.28 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 667 की 0.19 हैक्टर भूमि रेस्पोडेन्ट के खाते में दर्ज होनी चाहिए थी । सेटलमेंट का यह कृत्य अवैध है । वादी हाल खसरा नम्बर 666 रकबा 1.28 हैक्टर आराजी को अपने खाते में दर्ज कराने का अधिकारी है । विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति प्रदर्श– 2 के रूप में इस पत्रावली में संलग्न है । श्रीकृष्ण ने इकाबालिया जवाब पेश किया है और दावा वादी स्वीकार करने का कथन किया है । श्रीकृष्ण ने न्यायालय में उपस्थित होकर भी बयान दिये हैं और दावा वादी स्वीकार करने का कथन किया है । हुकुम चन्द जो कि रेस्पोडेन्ट क्रम 19 है वह श्रीकृष्ण का पुत्र है इनका शपथ पत्र पीडब्ल्यू–3 के रूप में पत्रावली में पेश किया गया है जिसमें वादीगण के कथन को सही स्वीकार किया गया है । सरकार के द्वारा पेश जवाब में भी वादी के दावे को ताईद किया गया है । सेटलमेंट विभाग ने फर्द मिलान गलत तैयार किया है जब प्रतिवादी श्रीकृष्ण ने इकबालिया जवाब पेश किया है तो उसके विपरीत कथन करने का अपीलान्ट को कोई अधिकार नहीं है क्योंकि अपीलान्ट श्रीकृष्णा के स्थान पर ही दावे में आये हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में वादी और प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर दावा डिक्री किया है । इसके विपरीत अपीलान्ट को अपील पेश करने का अधिकार नहीं है । यदि वो अधीनस्थ न्यायालय के इस आदेश को गलत समझते हैं तो उन्हें अधीनस्थ न्यायालय में रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिए था, अपील पेश करने का उन्हें कोई विधिक अधिकार नहीं है । अपील बैरून मियाद है, विलम्ब को कोई समुचित कारण भी नहीं बताया है । यदि अपीलान्ट यह महसूस करते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में समझौता डिक्री कपट से प्राप्त की गई है तो उसके लिए राजस्व न्यायालय सक्षम नहीं है इसका श्रवणाधिकार सिविल न्यायालय को होगा । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.06.2016 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में 2013 (1) आरआरटी पेज 708, 2001 (1) आरएलडब्ल्यू (एससी) पेज 95, 1982 एआईआर (एससी) पेज 1249, 2001 (1) आरएलडब्ल्यू (एससी) पेज 89, 1986 आरआरडी पेज 10, 2003 डीएनजे (एससी) पेज 346, एआईआर 1994 (एससी) पेज 227, 2001 (1) आरएलडब्ल्यू (एससी) पेज 89, 1989 आरआरडी पेज 572, 2008 (1) आरआरटी पेज 151, 2001 (1) आरआरटी पेज 244, 1997 आरआरटी पेज 500 उद्धरत की।

14. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

15. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नकल जमाबन्दी संवत् 2012 से 2015 प्रदर्श– 1 संलग्न है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 556/374 की रकबा 24 बीघा 18 बिस्वा भूमि मांग्या बेटा शोजी के नाम खातेदारी में दर्ज है जिस पर नामान्तरकरण संख्या 651 का नोट अंकित है । विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति प्रदर्श– 2 संलग्न है जिसके अनुसार मांग्या ने साबिक खसरा नम्बर 556/374 की 24 बीघा 18 बिस्वा आराजी में से 10 बीघा 01 बिस्वा आराजी चौथमल को बेचान की है । नामान्तरकरण संख्या 651 की प्रमाणित प्रदर्श– 3 के रूप में संलग्न है जिसके अनुसार इस विक्रय पत्र के आधार पर चौथू वल्द भोलू के खाते दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान की गई है । नकल जमाबन्दी संवत् 2012 से 2015 प्रदर्श– 4 संलग्न जिसमें इंतकाल नम्बर 651 का नोट अंकित है । नकल जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग संवत् 2016 से 2024 प्रदर्श– 5 के अनुसार कुल 05 किता की 24 बीघा 15 बिस्वा भूमि चौथमल पुत्र भोलू के नाम खाते में दर्ज है । नकल मिलान क्षेत्रफल संवत् 2016 से 2024 प्रदर्श– 6 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 374 रकबा 20 बीघा 01 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 443 और 444 कायम किये हैं और साबिक खसरा नम्बर 373 रकबा 07 बीघा 14 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 444, 443 एवं 445 बने हैं । नकल मिलान क्षेत्रफल संवत् 2038 से 2057 प्रदर्श– 7 संलग्न है जिसके अनुसार हाल खसरा नम्बर 636 रकबा 0.28 हैक्टर के साबिक खसरा नम्बर 444 मिन है और खसरा नम्बर 667 रकबा 0.19 हैक्टर भी साबिक खसरा नम्बर 444 मिन अंकित किया गया है, हाल खसरा नम्बर 666 रकबा 1.28 हैक्टर के साबिक खसरा नम्बर 442 मिन और 443 मिन अंकित किये गये हैं । नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रतियॉ प्रदर्श– 8 और 09 के रूप में पत्रावली में संलग्न हैं । नकल जमाबन्दी संवत् 2029 से 2032 प्रदर्श– 10 संलग्न है। नकल जमाबन्दी संवत् 2033 से 2036 प्रदर्श– 11 संलग्न है जिसके अनुसार चौथमल पुत्र भोलू के खाते में कुल 05 किता की 24 बीघा 02 बिस्वा आराजी दर्ज है जिसमें खसरा नम्बर 440 रकबा 10 बीघा आराजी शामिल है । नकल जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग संवत् 2038 से 2057 प्रदर्श– 12 संलग्न है जिसके अनुसार चौथमल पुत्र भोलू के नाम कुल 10 किता की 2.54 हैक्टर आराजी खातेदारी में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2059 से 2062 प्रदर्श– 13 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम गंदीफली की कुल 10 किता की 2.54 हैक्टर आराजी वादी के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग संवत् 2016 से 2024 प्रदर्श– 14 के अनुसार कुल 05 किता की 31 बीघा भूमि श्रीकृष्ण व जगन्नाथ आत्मज मोडू के नाम खाते में दर्ज है। नकल जमाबन्दी संवत् 2033 से 2036 प्रदर्श– 15 के अनुसार श्रीकृष्ण जगन्नाथ पुत्र मोडू के खातेदारी में 05 किता की 30 बीघा 12 बिस्वा भूमि दर्ज है । नकल जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग संवत् 2038 से 2057 प्रदर्श– 16 के अनुसार श्रीकृष्ण पुत्र मोडू के खाते में कुल 04 किता रकबा 4.23 हैक्टर भूमि दर्ज है । प्रदर्श– 17 नकल जमाबन्दी संवत् 2059 से 2062 संलग्न है जिसके अनुसार कुल 04 किता की 4.23 हैक्टर भूमि श्रीकृष्ण पुत्र मोडू के नाम खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्द भू–प्रबन्ध विभाग संवत् 2016 से 2024 प्रदर्श– 18 के अनुसार 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि मांग्या बेटा श्योजी के नाम खाते में दर्ज है । प्रदर्श– 19 उपखण्ड अधिकारी के आदेशिका की प्रमाणित प्रति है । प्रदर्श– 20 श्रीकृष्ण के मिसल संख्या 162/4 में दिये गये बयान की प्रमाणित प्रति है ।

16. पत्रावली पर शपथ पत्र बजरंग लाल व हेमराज संलग्न हैं । जिन पक्षकारों के शपथ पत्र पेश किये हैं उन्होंने न्यायालय में उपस्थित होकर शपथ पत्र की ताईद नहीं की है जो सीपीसी की पालना में आवश्क है । ऐसी स्थिति में इनको बयानों की संज्ञा नहीं दी जा सकती ।
17. इसी प्रकार से पीडब्ल्यू–3 हुकम चन्द का शपथ पत्र भी पेश हुआ है परन्तु न्यायालय में उपस्थित होकर उन्होंने शपथ पत्र की ताईद नहीं की है ओर अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 25.06.2010 के अनुसार इनको डी.डब्ल्यूं.–1 का शपथ पत्र अंकित किया गया है ।

18. वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में यह कथन करते हुए हक, घोषणा का दावा पेश किया है कि सेटलमेंट विभाग ने गलत रूप से खसरा नम्बर 444 के हाल खसरा नम्बर गलत कायम किये हैं । उनके खाते में खसरा नम्बर 666 की 1.28 हैक्टर खसरा नम्बर 667 की 0.19 हैक्टर आराजी दर्ज होनी चाहिए थी । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली बहस अंतिम में लम्बित थी और इसे दिनांक 17.06.2006 को लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में यद्यपि आदेशिका के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण का उपस्थित होना अंकित किया गया है परन्तु पत्रावली में पक्षकारों के द्वारा कोई लिखित राजीनामा भी पेश नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी की ओर से इकबालिया जवाब पेश किया गया है परन्तु इकबालिया जवाब पेश होने के बावजूद वादी को अपना दावा सिद्ध करना होता है । पत्रावली पर साबिक खसरा नम्बरान का जो मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श– 6 के रूप में संलग्न है उसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 374 रकबा 20 बीघा 01 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 443 और 444 कायम किये हैं और साबिक खसरा नम्बर 373 रकबा 07 बीघा 14 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 444, 443 एवं 445 बने हैं । वादी के द्वारा साबिक खसरा नम्बर 556/374 की रकबा 24 बीघा 18 बिस्वा भूमि में से 10 बीघा 01 बिस्वा भूमि क्रय की गई है और इस मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 374 के हाल खरसा नम्बर 444 और 443 बने हैं । 444 का रकबा 08 बीघा 11 बिस्वा दर्ज किया गया था और साबिक खसरा नम्बर 373 से बने हाल खसरा नम्बरान में 444 का रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा दर्ज किया गया था इसके उपरान्त पुनः सेटलमेंट हुआ है और पत्रावली पर संलग्न मिलान क्षेत्रफल की प्रति प्रदर्श– 7 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 444 मिन के हाल खसरा नम्बर 667 और 636 बने हैं यद्यपि इस दोनों का रकबा वादी के द्वारा क्रय की गई आराजी से कम है परन्तु हाल खसरा नम्बर 666 का साबिक खसरा नम्बर 442 मिन, 443 मिन बताये गये हैं जो वादी के द्वारा क्रय की गई आराजी नहीं है ।

19. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि वादी के द्वारा अपने दावे में यह भी कथन किया गया है कि सेटलमेंट विभाग के द्वारा नक्शा बनाने में त्रुटि की गई है उनके द्वारा प्रदर्श– 8 एवं 9 के रूप में नक्शो की प्रतियॉ पेश की गई हैं परन्तु ये दोनों ही नम्बर प्रथम सेटलमेंट एवं द्वितीय सेटलमेंट के उपरान्त के हैं । मूल रकबे 556/374 को दर्शाया हुआ नक्शा पेश नहीं किया गया है ।

20. अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण को खसरा नम्बर 666 की रकबा 1.28 हैक्टर का खातेदार घोषित किया है उनके खाते से किसी भी खसरा नम्बर का क्षेत्रफल कम नहीं किया गया है यदि खसरा नम्बर 666 का रकबा 1.28 हैक्टर की आराजी उनके खाते में शामिल की जाती है तो उनके खाते में खसरा नम्बर 666 रकबा 1.28 हैक्टर और खसरा नम्बर 636 रकबा 0.28 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 667 रकबा 0.19 हैक्टर कुल 1.75 हैक्टर दर्ज की जाती है तो इनका रकबा बढ जाता है ।

21. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि वादीगण के द्वारा जो शपथ पत्र पेश किया गया है उनके शपथग्रहिता ने न्यायालय में उपस्थित होकर उनकी ताईद भी नहीं करवाई गयी है जो सीपीसी की पालना में आवश्यक है ।

22. इन समस्त तथ्यों के आधार पर हम इस प्रकरण में समस्त रिकॉर्ड कर अवलोकन एवं विश्लेषण करते हुए तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक समझते हैं ।

23. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट के द्वारा उद्धरत आरआरटी 2013 (1) पेज 708 यहॉ चस्पा नहीं होती है क्योंकि पक्षकारों ने लोक अदालत में कोई राजीनामा पेश नहीं किया है । लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिमसें उभयपक्ष ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया हो । इसके अभाव में सीपीसी की पालना करते हुए साक्ष्य का विवेचन करते हुए तनकीवार निर्णय पारित किया जाना अनिवार्य है ।

24. इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय होने से खारिज होने योग्य है ।

25. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2016 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिपेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पत्रावली पर पेश किये गये दस्तावेजात का विवेचन करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय अन्दर 02 माह पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 28.12.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

26. निर्णय आज दिनांक 20.11.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

20.11.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा